भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2388

15.12.2025 को उत्तर के लिए

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2388. **श्री तापिर गाव:**
श्री दिलेश्वर कामैत:
श्री कालिपद सरेन खेरवाल:
श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:
श्रीमती बिजुली कलिता मेधी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत बंजर भूमि के पंजीकरण, ग्रीन क्रेडिट जारी करने तथा वृक्षारोपण कार्यकलापों की डिजिटल निगरानी के लिए अपनाए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यकलाप आरंभ करने के लिए पात्र प्रतिभागियों की श्रेणियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के वृक्षारोपण घटक के अंतर्गत लगाए गए पौधों की संपरीक्षा करने तथा ग्रीन क्रेडिट आवंटित करने का प्रभारी प्राधिकारी कौन है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान वृक्षारोपण कार्यकलाप के अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट के सृजन हेतु पांच वर्ष की समयावधि चुनने के पीछे क्या औचित्य है;

(ङ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत इस अवधि के दौरान लगाए गए और जीवित बचे हुए पौधों की वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(च) उक्त कार्यक्रम के द्वारा वन एवं वृक्ष आवरण को बढ़ाने, वनरोपण के लिए बंजर भूमि की सूची बनाने तथा सतत पर्यावरणीय पहलों में नागरिक एवं कॉर्पोरेट भागीदारी को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में अब तक प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च): ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पर्यावरण-अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित करने और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान को बढ़ावा देने वाली नवोन्मेषी प्रणाली है, जिसका उद्देश्य समुदाय के व्यवहार में पर्यावरण-अनुकूल कार्यों का समर्थन करने वाले परिवर्तन लाकर संधारणीय जीवनशैली को प्रोत्साहित करना है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का उद्देश्य हरित आवरण में वृद्धि करना, कार्बन अवशोषण को बढ़ाना, अवनत वन भूमि का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन करना तथा पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों व प्रथाओं को अपनाकर कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है।

केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 12 अक्टूबर, 2023 को ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं, जिनका उद्देश्य पर्यावरण के लिए ऐसे स्वैच्छिक सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना है जिनके परिणामस्वरूप ग्रीन क्रेडिट जारी किए जाते हैं। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण एवं अवनत वन भूमि के पुनर्वास की प्रक्रिया दिनांक 22 फरवरी, 2024 को अधिसूचित तथा 29 अगस्त, 2025 को संशोधित की गई थी। इस उद्देश्य से ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पोर्टल (https://moefcc-gcp.in) विकसित किया गया है।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून वह प्रशासनिक निकाय है जिसे ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रबंधन, संचालन तथा ग्रीन क्रेडिट जारी किए से संबंधित कार्य सहित इसके प्रभावी कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अवनत वनभूमि का पुनर्स्थापन करना है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत लिए जाने के लिए अवनत वनभूमि खंड, राज्य वन विभाग द्वारा स्थल-निरीक्षण के उपरांत चयनित एवं पंजीकृत किए जाते हैं।

ग्रीन क्रेडिट के लिए आवेदक द्वारा दावा तभी किया जा सकता है जब न्यूनतम पाँच वर्ष के लिए पुनर्स्थापन कार्यकलाप पूरे किए गए हों तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत छत्र-घनत्व प्राप्त कर लिया हो। पाँच वर्ष की स्थापना अवधि इसलिए निर्दिष्ट की गई है ताकि लगाए गए पौधों एवं प्राकृतिक पुनर्जनन को पर्याप्त छत्र आवरण विकसित करने तथा मध्यम घनत्व वाले वन के अनुरूप 40 प्रतिशत घनत्व प्राप्त करने का समय मिल सके। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत नामित एजेंसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावे का सत्यापन करेगी और आवेदक द्वारा किए गए कार्यकलापों के सत्यापन संबंधी रिपोर्ट प्रशासक को प्रस्तुत करेगी ताकि ग्रीन क्रेडिट जारी किए जा सकें। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व प्रौद्योगिकियों, दिशानिर्देशों एवं डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले वन पुनर्स्थापन कार्यकलापों का उद्देश्य जैव विविधता संवर्धन तथा वन संसाधनों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य एवं उत्पादकता में सुधार लाना है।

*****